न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 61/2022
GCMS Case No. 2022/195

सायल :–	बनाम	गैरसायलः–
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली		तेजाराम पुत्र हिम्मताराम जाति देवासी निवासी देवाण पुलिस थाना गुडा एन्दला जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)(3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली

:: निर्णय ::

दिनांक :– 20-10-2022

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 05.08.2022 को गैरसायल तेजाराम पुत्र हिम्मताराम जाति देवासी निवासी देवाण पुलिस थाना गुडा एन्दला जिला पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना गुडा एन्दला का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति हैं, जिसके खिलाफ 2012 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में कुल 6 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। 04 प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	मु0न0	धारा	चालान न व दिनांक	निर्णय
1	109/13-07-2012	19/54 आबकारी अधि	74/24.07.2012	दिनांक 29.11.2012 को जेएम प्रथम कोर्ट पाली द्वारा अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया
2	175/11-10-2013	19/54 आबकारी अधि	134/31.10.2013	दिनांक 17.06.2019 को जेएम प्रथम कोर्ट पाली द्वारा अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया
3	226/28-11-2014	19/54 आबकारी अधि	160/08.12.2014	दिनांक 06.12.2019 को जेएम प्रथम कोर्ट पाली द्वारा अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया
4	77/26-04-2015	19/54 आबकारी अधि	50/30.04.2015	दिनांक 18.01.2018 को जेएम प्रथम कोर्ट पाली द्वारा अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया
5	69/14-04-2021	19/54 आबकारी अधि	42/30.05.2021	जैर ट्रायल कोर्ट
6	115/07-07-2022	19/54 आबकारी अधि	–	जैर अनुसंधान

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम में दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल तेजाराम पुत्र हिम्मताराम जाति देवासी निवासी देवाण पुलिस थाना गुडा एन्दला जिला पाली शराब तस्करी के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जिसके आदतन अपराधी होने से आम जनता में भय व्याप्त है। गैर सायल का हौसला इतना बुलन्द हो गया है कि किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार होने के उपरान्त न्यायालय से जमानत पर छूटने पर यह पुनः निर्भीक होकर निरन्तर अपराध कारित कर देता है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(5) राजस्थान गुण्डा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

ए0पी0पी0 की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना गुडा एन्दला का अव्वल दर्जे का शराब का तस्कर है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैर सायल किसी आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तार होने के उपरान्त न्यायालय से जमानत पर छूटने पर यह पुनः निरन्तर अपराध कारित कर देता है। गैर सायल के कार्यकलापों से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली के मुकदमा नम्बर 93/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.01.2018 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 200/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। इसी प्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 पाली के मुकदमा नम्बर 4993/14 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2019 को आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दोषसिद्ध घोषित करते हुए 5000/– रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल तेजाराम पुत्र हिम्मताराम जाति देवासी निवासी देवाण पुलिस थाना गुडा एन्दला जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत दो माह की अवधि के लिए पुलिस थाना गुडा एन्दला से निष्काषित कर पुलिस थाना भाद्राजुन जिला जालौर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 05/11/2022 से 60 दिन के लिये पुलिस थाना भाद्राजुन जिला जालौर में सप्ताह में एक बार अर्थात 60 दिन में आठ बार अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी भाद्राजुन जिला जालौर गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। गैरसायल इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल तेजाराम इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। थानाधिकारी पुलिस थाना गुडा एन्दला, गैरसायल तेजाराम को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को पुलिस थाना भाद्राजुन जिला जालौर की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। थानाधिकारी भाद्राजुन जिला जालौर उनके यहां गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी गुडा एन्दला अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी पुलिस थाना गुडा एन्दला एवं थानाधिकारी भाद्राजुन जिला जालौर को भिजवाई जावे।

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20-10-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभानसिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली